

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0)

—:: विज्ञापन ::—

क्रमांक— 1792/दो-6-3/2004

कोरबा, दिनांक दिसम्बर 2009

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 23/01/2010 संध्या 5.00 तक  
साक्षात्कार दिनांक :- 12,13,14 फरवरी 2010

कोरबा न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

## रिक्त पदों का विवरण

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य वर्ग			
			पु.	म.	विक.	भू.सै०	पु.	म.	विक.	भू.सै०	पु.	म.	विक.	भू.सै०	पु.	म.	विक.	भू.सै०
<b>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी</b>																		
1.	भृत्य	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	कुल	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी</b>																		
2.	सफाई कर्मचारी	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	वाटरमेन	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
4.	चौकीदार	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	योग	11	2	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

(1) भृत्य पद के लिए-

अ- वेतनमान- रुपये 4750-7440 + ग्रेड पे 1300/-

ब- शैक्षणिक योग्यता-

पांचवी कक्षा उत्तीर्ण।

(2) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पद के लिए-

अ- वेतनमान:- जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित वेतन

ब- शैक्षणिक योग्यता-

पांचवी कक्षा उत्तीर्ण।

महत्वपूर्ण— अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं ।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-

- (1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
  - (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
  - (ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (2) दिनांक 01 जनवरी, 2010 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो ।
- (3) उच्चतम आयु सीमा में छूट:-  
निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-
  - (एक) (1)— यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।
  - (एक) (2)— यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ-72593/1 आ.प. दिनांक 20/01/1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।
  - (एक) (3)— छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिंजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।
  - (एक) (4)— ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बारकी गई सेवाओं का योग हो, कम

- करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- स्पष्टीकरण:— छंटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है ।
- (एक) (5)— ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- (एक) (6)— महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि, उनके वर्ग में मिलने वाली आयुसीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।
- (एक) (7)— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.12/20021/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।
- (एक) (8)— स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- (एक) (9)— विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।
- (दो) (1)— परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।
- (दो) (2)— आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक— सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
- (दो) (3)— विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक— सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03/09/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप :- (1) बिंदु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। ग्रीन कार्ड अथवा अन्तरजातीय विवाह के निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित तो उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए दो वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अन्तरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

### आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 23/01/2010 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद भृत्य एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा (छ0ग0) के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। दिनांक 23/01/2010 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।
2. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

3. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभागप्रमुख को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुये दो लिफाफे प्रत्येक पर 5/- की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें।

चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु चयन समिति मान्नीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा गठित की जावेगी। गठित चयन समिति के द्वारा समस्त उम्मीदवारों को साक्षात्कार लिया जावेगा एवं साक्षात्कार में प्राप्त योग्य उम्मीदवारों का प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा को होगा।
4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा मण्डल से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़, रायपुर से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।
6. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
7. चयनित उम्मीदवारों को कोरबा जिले में एवं कोरबा जिले में स्थित किसी भी तहसील न्यायालयों में पदस्थ किया जा सकेगा।
8. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी :-

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में

कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य आवश्यक सूचनाएँ :-

1. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
2. जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त रूप से भरा होना पाया जायेगा उन्हें साक्षात्कार हेतु सूचना पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये डाक लिफाफा के माध्यम से जारी किए जाएंगे अथवा कार्यालय द्वारा भेजे जाएंगे।
3. उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक-पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर यथाशीघ्र चस्पा कर दी जाएगी।
4. जिन आवेदकों को साक्षात्कार तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे साक्षात्कार तिथि को निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण सहित उपस्थित हो सकेंगे। परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी यदि सही पाई गई, तो उन्हें साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।
5. साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर दिनांक 12,13,14 फरवरी 2010 को जिला न्यायालय परिसर कोरबा में प्रातः 08 बजे उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। जिला न्यायालय परिसर कोरबा में उम्मीदवारों को रोल नंबर आदि संबंधी जानकारी दी जावेगी।
6. अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में साक्षात्कार कमवार चयन समिति के द्वारा ली जा सकेगी।

(एम0डी0 कातुलकर)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोरबा,छ0ग0

## आवेदन पत्र का प्रारूप

( भृत्य एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु )

प्रति,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोरबा (छ0ग0)

उम्मीदवार अपना  
नवीनतम  
फोटोग्राफस  
स्वहस्ताक्षरित यहां  
चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम :- .....
2. आवेदक का पूरा नाम :-  
(हिन्दी में) .....
3. लिंग- पुरुष, संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2 :- .....
4. पिता/पति का नाम :- .....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :-  
(हिन्दी में) .....
6. (अ) जन्म तिथि अंकों में :-  
(ब) दिनांक 1/1/2010 को आयु:- .....
7. क्या आवेदक छ0ग0 का मूल निवासी है? हां/नहीं :-  
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
8. क्या आवेदक छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं :-  
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग :-  
अंकित करें।
10. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं :-  
(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं:-  
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक :-
14. रोजगार कार्यालय का नाम .....
15. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं :-
16. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि :-

17. जीवित बच्चों की संख्या :- .....

क्र०	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1			

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड वि०वि० का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1	2	3	4	5	6

अन्य योग्यता :-

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं :-.....

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें। )

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:- ( प्रमाणित प्रतिलिपि )

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### घोषणा- पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता